



अप्रार्थी ने भी उपस्थित हो कर बताया की वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में से विलीन 1/4 हिस्सा तथा उस हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवा जाना उचित है।

वर्कलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध खतावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075, 2020, 2023 से 2026, 2039 से 2042, 2044 से 2047 व 2048 से 2051का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भीम ग्राम कानासर पटवार इल्का कानासर जो शामिल जिसल किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अभिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की दोहराते हुवे बताया की प्रार्थीगण की पुरवैनी संयुक्त खातेदारी की भीम ग्राम कानासर पटवार इल्का कानासर तहसील प जिना जाँधपुर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त वर्णित में वक्त बन्दोस्त खातेदार कौशला पुत्र थाना, बरसिंगा पुत्र सावता, सकता, पांचा पि. गुलाबा 1/4 हिस्सा, पहलाद पुत्र गुलाबा 1/4 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई तथा इसी अनुक्रम संवत् 017 से 2020 तक तथा संवत् 2023 से 2028 तक की जमाबंदियों में दर्ज होता रहा। प्रार्थीगण खातेदार पहलाद पुत्र गुलाबा जो उपरोक्त वर्णित भीम खसरा नम्बर 1073 के 1/4 हिस्से के दर्ज खातेदार कासतकार थे के प्रार्थीगण विधिक वारिसान है तथा खातेदार पहलाद फौज हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के पूर्वज पहलाद पुत्र गुलाबा का हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी 2038 तक दर्ज होता रहा लेकिन आगे के खातेदार कौशला वंश के नाम दर्ज करके उनका राजस्व रेकॉर्ड में 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया किन प्रार्थीगण के पूर्वज पहलाद पुत्र गुलाबा का नाम तथा उनका 1/4 हिस्सा विलीन कर दिया। उक्त विवाहित भीम के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में केवल मात्र 3/4 हिस्सा तथा इसके खातेदारों के नाम दर्ज है लेकिन 1/4 हिस्सा तथा इस हिस्से के खातेदारों का नाम विलीन है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त वादग्रस्त भीम के राजस्व रेकॉर्ड में 1/4 हिस्से के खातेदारों का नाम तथा उनका 1/4 हिस्सा चलते-चलते रेकॉर्ड से बिना कोई वजह से विलीन किया जा रहा है। उक्त का कोई अधिकार नहीं होने से राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान भीम के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में केवल मात्र 3/4 हिस्सा तथा इसके खातेदारों के नाम विलीन है। इसलिये प्रार्थीगण पत्र 1/4 हिस्सा में नाम दर्ज करवा कर राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने के अधिकारी है।

